निर्णित बाइजलास प्रकाश चन्द रेगर(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांरावाडा

प्रकरण संख्या-09/2019 दायर दिनांक-30/05/2019

उनवान

1. शंकर पिता कोदर जाति सुथार निवासी ठीकरिया, तहसील बांरावाडा (वादी)

बनाम

1. रूपचन्द पिता कोदर जाति सुथार निवासी ठीकरिया तहसील बांरावाडा।

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील बांरावाडा (प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री नंदलाल पुरोहित अधिवक्ता वादीगण

वाद अंतर्गत धारा- 53, 209 आर.टी एक्ट

निर्णय

दिनांकः-31.07.23

न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.11.22 की पालना रिपोर्ट तहसीलदार बांरावाडा से 06.012.2023 से पहले तलब की गई परन्तु दिनांक 29.11.2022 को उभयपक्षकारान् मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजीनामें अनुसार विभाजन किया जावें। राजीनामें को बाद जांच तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया।

राजीनामें के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 44 नया 47 पुराना के खेत सर्वे नम्बर 222 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा लगान 4.9 रूपये एवं सर्वे नं. 223 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा लगान 4.67 रूपया में से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी भाग की तरफ की कृषि भूमि वादी के हिस्से में रहेगी तथा खाता संख्या 44 नया 47 पुराना की

उपखण्ड अधिकारी बांरावाडा (राज.)

8107282229

सम्पूर्ण शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में रहेगी। जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की कृषि भूमि 06 बीघा 10 बिस्वा लगभग होगी।

तहसीलदार बांसवाड़ा के पंत्राक 25.01.2023 द्वारा राजीनामें अनुसार विभाजन पेश किये। विभाजन प्रस्ताव का राजीनामें से मिलान उपरान्त सही पाये जाने पर राजस्व ग्राम ठिकरिया के खाता संख्या 44 नया 47 पुराना के खसरा नम्बर 222 रकबा 02-16 बीघा एवं खसरा नम्बर 223 रकबा 03-04 बीघा में से क्रमशः 15-15 बिस्वा लम्बाई में उत्तर से दक्षिण पूर्वी भाग वादी के हिस्से में व खाते के शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में रहेगी।

उक्तानुसार राजीनामें के आधार पर तहसीलदार बांसवाड़ा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री के रूप निर्णित किया जाता है। तद्अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग समझा जावें।

अंतिम ड्रिकी की प्रमाणित प्रति राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बाबत् तहसीलदार बांसवाडा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/07/23

उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाड़ा

अंतिम

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाड़ा व इजलास :

प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2019

उनवान मुकदमा

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

1. शंकर पिता कोदर जाति सुथार निवासी ठीकरिया, तहसील बांसवाड़ा (वादी)

बनाम

2. कचरू पिता कोदर जाति सुथार निवासी ठीकरिया तहसील बांसवाड़ा
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बांसवाड़ा (प्रतिवादीगण)

उपस्थिति-

1. श्री नंदलाल पुरोहित- अधिवक्ता वादी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक-31.07.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे पेश होकर हुक्म एवं डिक्री दी जाती है। बाद राजीनामा विभाजन प्रस्ताव को अंतिम ड्रिकी के रूप में निर्णित किया जाता है।

इस आशय की डिकी जारी की जाती है

क्रं सं.	खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खातेदार का नाम	खसरा	रकबा	भूमि किस्म	लगान
01	44	47	वादीः- शंकर पुत्र नाथु सुथार निवासी ठिकरिया खातेदार	222/1	0.1215है.	काली चरनोई	0.17 रू
				223/1	0.1215है.	काली चरनोई	0.18 रू
			योग	2	0.2430है.		0.35 रू
			प्रतिवादीः- कचरू पुत्र कोदर सुथार निवासी ठिकरिया खातेदार	222/2	0.3315है.	काली चरनोई	0.49 रू
				223/2	0.3963है.	काली चरनोई	0.58 रू
				991/51	0.2427है.	काली चरनोई	0.35 रू
			योग	3	0.9705है.		1.42रू

अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 31.07.23 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प बहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य

31/07/23
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner